

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2546]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 2018/आषाढ़ 15, 194 0
No. 2546]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 2018/ASHADHA 15, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2018

का.बा. 3300(ब).—केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात् –

क्र.सं.	धारा
(1)	धारा 15;
(2)	धारा 16;
(3)	धारा 75; और
(4)	धारा 76.

[फा.सं. 1/1/2018-सीएल.I (पार्ट)] के. वी. आर. मृर्ति, संयुक्त सचिव

3853 GI/2018 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2018

S.O. 3300(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 15th August, 2018 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:-

Sl. No.	Section
(1)	Section 15;
(2)	Section 16;
(3)	Section 75; and
(4)	Section 76.

[F. No. 1 /1 /2018-CL.I-part]] K.V.R. MURTY, Jt. Secy.